राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2019/पार्ट–1 जयपुर दिनांक – 02 MAY 2023

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं,
जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी नरेगा कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (प्रत्येक ब्लॉक में 4) से राज्य के विभिन्न ब्लॉक्स के पेनल में सम्मिलित मेट का प्रशिक्षण करवाये जाने के संबंध में।

संदर्भः विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5(21) ग्रावि/नरेगा/जनरल/2022–23/4012 दिनांक 19.12.2022, एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2019/पार्ट–1 दिनांक 05.01.2023 एवं 31.03.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (प्रत्येक ब्लॉक में 4) से राज्य के विभिन्न ब्लॉक्स के महात्मा गांधी नरेगा मेट पेनल में सम्मिलित मेट का प्रशिक्षण करवाये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षित मेटों की संख्या आदि की प्रगति से अवगत करवाने हेतु लिखा गया था।

पत्र दिनांक 31.03.2023 द्वारा माह अप्रैल प्रथम एवं द्वितीय पखवाडा 2023 में ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (बीआरपी) द्वारा मेट प्रशिक्षण के निर्देश प्रदान किये गये थे।

यह ध्यान में आया है कि राज्य की अधिकांश पंचायत समितियों में उक्त मेट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाये है। कुछ पंचायत समितियों में आयोजित मेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पत्र दिनांक 19.12.2022 में प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं करते हुए मात्र औपचारिक प्रशिक्षण आयोजित किये गये है।

अतः राज्य के विभिन्न ब्लॉक्स (पूर्व में जारी कार्यक्रम अनुसार आयोजित वह ब्लॉक्स जिनमें प्रशिक्षण आयोजित हो चुके है, को छोड़कर) के महात्मा गांधी नरेगा मेट पैनल में सम्मिलित मेट का प्रशिक्षण कार्यक्रम माह मई 2023 के प्रथम एवं द्वितीय पखवाडे में आयोजित किया जावे। मेट प्रशिक्षण में निम्नांकित निर्देशों की पालना भी की जावे।

1. न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला मेटों को प्रशिक्षण दिया जावे।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित मेट रजिस्टर को अपडेट किया जावे।
3. प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं प्रशिक्षण सत्र की कार्यवाही रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र–1 में भरी जाकर पंचायत समिति में प्राप्त की जावे तथा प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स भी प्राप्त किये जावे। तदनुसार ही ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों के मानदेय का भुगतान किया जावे।
4. ब्लॉकवार प्रशिक्षण प्राप्त मेटों की संख्या संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्रशिक्षण उपरांत जिला स्तर पर संकलित कर राज्य स्तर को संलग्न प्रपत्र–2 के अनुसार प्रेषित की जावे।
5. नव प्रशिक्षित मेटों का इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट पर ब्लॉक स्तर से किया जावे।

प्रशिक्षण की शेष प्रक्रिया पूर्वानुसार ही रहेगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी।
4. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. श्री निखिल डे/पारस बंजारा, सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, जयपुर को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में, उनके पत्र दिनांक 24-25.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

प्रपत्र–1

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति कार्यप्रगति की प्रतिदिवस रिपोर्ट

दिनांक	उपस्थित मेटों की संख्या	प्रशिक्षण सत्र में चर्चा का विषय	बीआरपी द्वारा किये गये कार्य का विवरण	बीआरपी के हस्ताक्षर	टिप्पणी

नोट :– इस प्रपत्र का प्रतिदिवस प्रशिक्षक द्वारा सत्र की कार्यवाही हेतु भरा जावे एवं प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जावे।

प्रशिक्षिक ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति का नाम :–

प्रशिक्षिक ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति के मोबाईल न. :– सत्यापक के नाम व हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

ब्लॉकवार प्रशिक्षण प्राप्त मेटों की संख्या संबंधी प्रगति रिपोर्ट					
जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षक बीआरपी की संख्या जिनके द्वारा प्रशिक्षण दिये गये	प्रशिक्षण प्राप्त मेटों की संख्या		
			महिला	पुरूष	योग